

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-10
उत्तर देने की तारीख-22/07/2024

पिछले 10 वर्षों में भारत में हुए पेपर लीक और नीट में न्यायिक जांच

- +10. डॉ. मोहम्मद जावेद:
डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:
श्री डी. एम. कथीर आनंद:
एडवोकेट डीन कुरियाकोस:
श्रीमती माला राय:
श्री ए. राजा:
श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:
श्री हैबी ईडन:
श्री एम. के. राघवन:
श्री गौरव गोगोई:
श्री आनंद भदौरिया:
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:
श्री के. सुधाकरन:
श्री के. राधाकृष्णन:
श्री सुखदेव भगत:
डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:
श्री सेल्वाराज वी.:
श्री हनुमान बेनीवाल:
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:
श्री सुब्बारायण के .:
श्री सु. वेंकटेशन:
डॉ. नामदेव किरसान:
एडवोकेट अदूर प्रकाश:
श्री के. सी. वेणुगोपाल:
श्रीमती साजदा अहमद:
प्रो. सौगत राय:
डॉ. अमर सिंह:
श्री एंटो एन्टोनी:
श्री प्रद्युत बोरदोलोई:
सुश्री एस. जोतिमणि:
श्री बैन्नी बेहनन:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पेपर लीक होने संबंधी कोई रिकार्ड है, यदि हां, तो विगत 10 वर्षों में ऐसे पेपर लीक का ब्यौरा क्या है;

- (ख) क्या सरकार के पास देश में हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) परीक्षाओं में कुप्रबंधन और परिणामों में कथित हेराफेरी संबंधी कोई तर्क है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने विशेषकर सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) और एनईईटी परीक्षाओं के बाद इस संबंध में कुप्रबंधन की बढ़ती शिकायतों के कारण राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के कार्यकरण की कोई जांच कराई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या यह सच है कि छात्र समुदाय द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए काउंसिलिंग रद्द किए जाने और इसे एनईईटी से पहले की स्थिति के रूप में अर्थात् पुरानी प्रणाली को बहाल किए जाने की संभावना है;
- (ङ) 24 जून, 2024 को घोषित नीट परीक्षा के परिणाम में अपने गृह राज्य के बाहर परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों के परिणामों से संबंधित विवरण जैसे अंक, नाम, रैंक, श्रेणी आदि का ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या विभिन्न परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों से लिए गए शुल्क के माध्यम से एकत्रित अत्यधिक धनराशि अर्जित करने के बावजूद एनटीए सोर्स विभिन्न टेबलों को निजी एजेंसियों को उपलब्ध कराता है और यदि हां, तो निजी एजेंसियों को आउटसोर्स किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (छ) क्या तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों से एनईईटी परीक्षाओं को रद्द करने और प्रवेश प्रक्रिया को राज्य सरकारों के चिकित्सा महाविद्यालयों को सौंपने की मांग बढ़ रही है और इस पर केंद्र सरकार का क्या रुख है; और
- (ज) क्या सरकार ने अविलम्ब नीट पीजी की आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की तिथियों को अंतिम रूप दे दिया है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकांत मजूमदार)

(क) से (ज) विभिन्न निकायों द्वारा भर्ती के साथ-साथ उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। परीक्षा से संबंधित विशिष्ट घटनाओं के बारे में डेटा मंत्रालय में केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने 5 मई 2024 को ओएमआर (पेन और पेपर) मोड में नीट (यूजी) परीक्षा आयोजित की। परीक्षा के आयोजन के बाद, कथित अनियमितताओं/धोखाधड़ी/कदाचार के कुछ मामले सामने आए। केवल एक मामले में, प्रश्नपत्र की अभिरक्षा की श्रृंखला का उल्लंघन होने की संभावना है। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से षडयंत्र, धोखाधरी, विश्वासघात आदि सहित कथित अनियमितताओं की संपूर्ण प्रक्रिया की व्यापक जांच करने हेतु कहा है। इस अखिल भारतीय परीक्षा में गोपनीयता के किसी भी बड़े पैमाने पर उल्लंघन का कोई भी प्रमाण संकेत देने के लिए कोई भी सामग्री रिकार्ड में नहीं है।

शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए प्रभावी उपाय सुझाने हेतु दिनांक 22.6.24 को विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। समिति परीक्षा प्रक्रिया प्रणाली में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की संरचना और कार्यप्रणाली के संबंध में सिफारिशें करेगी और दो महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

एनटीए ने दिनांक 18.7.2024 के जारी डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 335/2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में, अभ्यर्थियों की पहचान का खुलासा किए बिना, अपनी वेबसाइट पर सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को शहरवार और केंद्रवार अपलोड कर दिया है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, उनके सुचारू और निष्पक्ष संचालन हेतु विभिन्न प्रचालनात्मक सुरक्षात्मक उपाय किए जाते हैं। ऐसे उपायों में बायोमेट्रिक कैचरिंग, फ्रिस्किंग, सीसीटीवी निगरानी, संभावित प्रतिरूपण की पहचान करने के उद्देश्य से कृत्रिम बुद्धिमत्ता एनालिटिक्स, परीक्षा का आयोजन जाना आदि जैसी सेवाएँ प्रदान करने हेतु विशेष एजेंसियों की नियुक्ति शामिल है। उपरोक्त कार्यकलापों पर किया गया आवर्ती व्यय संग्रहित पंजीकरण शुल्क से पूरा किया जाता है।

देश में अवर स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में निहित प्रवेश के मानकीकरण हेतु नीट (यूजी) परीक्षा शुरू की गई है। नीट (यूजी) का उद्देश्य प्रतिभा को बनाए रखने और शिक्षा के शोषण, मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण को रोकना है। वर्तमान में, नीट (यूजी) परीक्षा को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने पहले ही नीट-पीजी 2024 के आयोजन की तिथि 11 अगस्त 2024 अधिसूचित कर दी है।
